

राजस्थान-सरकार

**न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं भू-अभिलेख अधिकारी, चूरु**

प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ...वाँच्यु...



**-: आदेश :-**

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ...वाँच्यु... व भूअ.नि. सिद्धासा... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ...यू.ए..../नायब तहसीलदार ...—... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ...वाँच्यु... तहसील ...यू.ए.... व जिला ...यू.ए.... की जमाबन्दी सम्वत् ...2070-2073... में खाता संख्या ...366... में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>वाँच्यु</u>	366	<u>मोहम्मद नजान हुज्र शाही</u> <u>हस्ता 432 जमिनी कामधरानी</u> <u>निवासी वाँच्यु जातेदार</u>	<u>मोहम्मद का हुज्र</u> <u>शाही रजमि हस्ता</u> <u>432 जमिनी कामधरानी</u> <u>निवासी वाँच्यु जातेदार</u>

18/10/21  
पीठासीन अधिकारी  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)

क्रमांक :- 118/2021

दिनांक :- 18.10.2021

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ...यू.ए.... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री मोहम्मद का हुज्र शाही को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली। कामधरानी नि वाँच्यु

1742  
18.10.2021

18/10/21  
भू-अभिलेख अधिकारी  
(एस.डी.ओ.)